

Rcms 2016/00174

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 88/2016

बमुक रामनिवास बनाम निरोत्तम वगैरा

दावा वावत बटवारा काशत एवं स्थाई निषेधाज्ञा

9.12.2016 दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 9.3.2017 को पेश हो ।




-3-17 वकील वादी उपरो/ व.आवली गतादेवानुसार दिनांक 20-4-17 को पेश हो।

किमाई
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

9/5/17 वकील वादी 350/क.प.ल.वादी न लकी हा मरेण लेटर पत्रावली दिनांक 18/5/17 को पेश हो।

किमाई
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

17-5-17 आज गद पत्रावली जोर हाकालत/ सैन कोर्ट हाकालत केन्द्र उच्च पंचायत करीमपुर पर पेश हुई। वादी एवं उनके आभिभावक गें को कोर्ट उपलब्धी। वाद-वाद

निरोत्तम सिंह
नि.अ.प.उ.अ.अ.

सुरेश

१०१वाजे लगवाहे आहे। तथा प्राविचाही २००
 १२, ३, ५, ६, ७, १२, १४ एवं १६ असे ३००० रूप्य
 दाना वाही बाह्य हाथी व बाह्यकेंपी
 में खारिज त्रिया जाता है। पत्रावली
 कालत शुभात् होत्वा हाथिल अक्षर
 ही

श्री
 उपपण्ड अधिकारी श्री ऊ
 (प्राचीन सचिवांगे लोक अदालत) कोर्ट
 रायपूर

हकीमी

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मसिंह

गानासिंह